प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (मा0),
उ0प्र0, लखनऊ ।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन
शिक्षा (7) अनुभाग
लखनऊ ।

पत्रांक: मा0(।)(शि0/एन0ओ0सी0/ 13616 /06-07 दिनांक: 26 मार्च, 2007

विषय: शान्ति निकेतन पब्लिक स्कूल, ग्वालियर रोड, सैहरा, आगरा को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विद्यालय द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं उसके साथ संलग्न पत्राजात तथा संयुक्त शिक्षा निदेशक की स्थलीय निरीक्षण आख्या उनके पत्रांक: शि0स0/13189/2006-07 दिनांक 13.3.2007 द्वारा प्रस्तुत की गयी, जो शिविर कार्यालय के सम्बन्धित अनुभाग में दिनांक 20.3.2007 को प्राप्त हुई ।

प्रकरण के समीक्षोपरान्त विद्यालय की बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है :-

1- आवेदन पत्र :- सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने विषयक विद्यालय द्वारा आवेदन पत्र संयुक्त शिक्षा निदेशक के कार्यालय में दिनांक 17.2.2007 को जमा किया गया ।

2- आवेदन शुल्क :- विद्यालय द्वारा आवेदन पत्र शुल्क रू0 2800/-दि0 12.2.2007 को भारतीय स्टेट बैंक, आगरा में जमा किया है, ट्रैजरी चालान की मूल प्रति संलग्न कर प्रस्तुत की गयी है ।

3- विद्यालय स्थापित किये जाने की क्षेत्रीय आवश्यकता :- संयुक्त शिक्षा निदेशक की आख्यानुसार विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है । विद्यालय में कक्षा नर्सरी से लेकर कक्षा-5 तक की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से दी जाती है । विद्यालय में 228 छात्र पंजीकृत है, जिसमें निरीक्षण के समय 203 छात्र उपस्थित पाये गये । विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ायी जाती है । विद्यालय को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा संस्तुति की गयी है ।

4-सोसायटी का पंजीकरण :- विद्यालय का संचालन स्वराज एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसायटी, पता-2/363/ नामनेर, माल रोड, आगरा द्वारा किया जाता है । सोसायटी एक्ट 21-1860 के अधीन प्रमाण पत्र सं0-838/1999-2000 दिनांक 14.7.1999 है, जिसका नवीनीकरण दि0 14.7.2004 से अगले पांच वर्ष के लिए

------2/-

किया गया है। नवीनीकरण प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न कर प्रस्तुत की गयी है।

विद्यालय की प्रबन्ध समिति में एक ही व्यक्ति/एक ही परिवार का नियंत्रण न होने विषयक शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5- शिक्षक/कर्मचारी अर्हता :-

विद्यालय द्वारा प्रस्तुत स्टाफ विवरण के अनुसार विद्यालय में प्रधानाचार्य सहित कुल 7 अध्यापक / अध्यापिकाएं कार्यरत हैं, जो योग्यतानुसार प्रशिक्षित एवं अर्ह हैं। इसके अतिरिक्त विद्यालय में एक लाईब्रेरियन एक लिपिक दो चपरासी एक स्वीपर कार्यरत है। जिसका विवरण संलग्न है।

6- वेतनमान एवं सेवा शर्ते :-

विद्यालय में कार्यरत शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिये जा रहे वेतनादि का विवरण संलग्न कर प्रस्तुत किया गया है।

(1) सेवा नियमावली :-

विद्यालय स्टाफ के लिए सेवा नियमावली बनायी गयी है जिसकी प्रति संलग्न कर प्रस्तुत की गयी है।

(2) पी०एफ०योजना :-

विद्यालय स्टाफ के लिए अभी पी०एफ० योजना लागू नहीं की गयी है, क्योंकि विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 20 से कम है।

(3) वेतन का भुगतान :-

विद्यालय स्टाफ का वेतन बैंक के माध्यम से दिया जाता है। पुष्टि हेतु बैंक प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न कर प्रस्तुत की गयी है।

7- भूमि/भवन :-

विद्यालय संचालन हेतु भूमि/भवन 30 साल के लिए पट्टे पर ली गयी है। विद्यालय भूमि/भवन स्वामित्व में पंजीकृत अभिलेख संलग्न कर प्रस्तुत किये गये हैं। विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल 8097 वर्गमीटर है। विद्यालय का निर्मित क्षेत्रफल 1470 वर्गमीटर है। विद्यालय के पास खेल के मैदान एवं भवन विस्तार हेतु उपलब्ध भूमि का क्षेत्रफल 6627 वर्गमीटर है। विद्यालय का मानचित्र संलग्न कर प्रस्तुत किया गया है। विद्यालय में निर्मित कक्षा-कक्षों की माप का विवरण संलग्न है।

8- पुस्तकें/विज्ञान सामग्री/शिक्षण सामग्री एवं साज-सज्जा सामग्री का विवरण :-

(1) पुस्तकें :-

संयुक्त शिक्षा निदेशक की आख्यानुसार विद्यालय के पास 1870 पुस्तकें उपलब्ध है। पुस्तकों का विवरण संलग्न कर प्रस्तुत किया गया है।

(2) विज्ञान सामग्री :-

संयुक्त शिक्षा निदेशक की आख्यानुसार विद्यालय के पास रू0 59,960/- मूल्य की विज्ञान सामग्री उपलब्ध है, मूल्य सहित सूची संलग्न है।

(3) शिक्षण सामग्री :-

संयुक्त शिक्षा निदेशक की आख्यानुसार विद्यालय के पास रू0 17660/- मूल्य की शिक्षण सामग्री उपलब्ध है। शिक्षण सामग्री की मूल्य सहित सूची संलग्न है।

---3/-

9- क्रीड़ा सामग्री :- संयुक्त शिक्षा निदेशक की आख्यानुसार विद्यालय के पास 4000 वर्गमीटर भूमि खेल के मैदान के लिए उपलब्ध है । इसके अतिरिक्त विद्यालय के पास रू0 12715/- मूल्य की क्रीड़ा सामग्री उपलब्ध है । क्रीड़ा सामग्री की मूल्य सहित सूची संलग्न है ।

10- शुल्क :- विद्यालय द्वारा ली जाने वाली शुल्क का विवरण संलग्न कर प्रस्तुत किया गया है ।

11- प्रतिबन्धों का समावेश :- शासनादेश दिनांक 30.11.91 में अंकित प्रतिबंधों का समावेश सोसायटी नियमावली में कराकर नियमावली की पंजीकृत प्रति की छाया प्रति संलग्न कर प्रस्तुत किया गया है ।

विद्यालय द्वारा प्रतिबन्धों की पूर्ति की गयी है तथा विद्यालय को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा संस्तुति की गयी है, के आधार पर विद्यालय की यथास्थिति आख्या संस्तुति सहित शासन की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संलग्नक: उक्तवत् ।

भवदीया,

श्रीमती (रूबी सिंह)
संयुक्त शिक्षा निदेशक (शिविर)
कृते शिक्षा निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ ।